न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 73/2007

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 नानूराम पुत्र नरसाराम।
2 ग्यारीलाल (मृतक) पुत्र नरसाराम।
2/1 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ग्यारसीलाल।
2/2 प्रकाश कुमार पुत्र ग्यारसीलाल।
2/3 गोविन्द जांगिड़ पुत्र ग्यारसीलाल।
2/4 अनिल जांगिड़ पुत्र ग्यारसीलाल।
2/5 नर्बदा पत्नी ग्यारसीलाल समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण राधाकिशनपुरा सीकर तहसील व जिला सीकर।
2/6 सन्तोष देवी पुत्री ग्यारसीलाल पत्नी ताराचन्द जाति जांगिड़ निवासी वार्ड नम्बर 27 सीकर हाल आबाद नारसरा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सीकर।
2 यूनियन ऑफ इण्डिया जरिये जनरल मैनेजर पश्चिमी रेल्वे चर्च गेट मुम्बई।
3 मण्डल प्रबन्धक पश्चिमी रेल्वे जयपुर।
4 स्टेशन अधिक्षक सीकर जंक्शन सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 05.04.2007
बउनवानी दावा नानूराम बनाम राजस्थान सरकार
पीठासीन अधिकारी श्री हरविन्दर कुमार शर्मा
आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 07.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के पैतृक खाते, कब्जे, काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम राधाकिशनपुरा के पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल वाके ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित रही है, अभिनव भू–प्रबन्ध के दौरान वादग्रस्त भूमि के नये खसरा नम्बर 19 रकबा 3.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 21 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.37 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया, जबकि उन्हे 4.81 हैक्टेयर रकबा दर्ज करना चाहिए था। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी संख्या 1 का 3/4 एवं वादी संख्या 2 का 1/4 हक, हिस्सा रहा है और उपरोक्त वर्णित हक, हिस्से के अनुसार ही पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा पर वादीगण काबिज चले आ रहे है। अभिनव भू–प्रबन्ध द्वारा वादीगण के खाते, कब्जे की भूमि का गलत रूप से रकबा कमकर वादी के खातेदारी की भूमि का नया रकबा 3.37 हैक्टेयर कायम कर दिया जबकि वास्तव में 19 बीघा 5 बिस्वा का रकबा 4.81 हैक्टेयर कायम किया जाना चाहिए था भू–प्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वादीगण की खातेदारी की भूमियों का 1.49 हैक्टेयर रकबा कम कर दिया गया। बिना सक्षम न्यायालय की अनुमती के भू–प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों को राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने का कोई हक, अधिकार नही है वादीगण को राजस्व रिकार्ड में हुए गलत इन्द्राज और वादी के रकबे का घटाकर किसके खाते में रकबा बढ़ा दिया जिसकी पूर्व में कोई जानकारी नही हो पाई दिनांक

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
... राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15.09.2000 को तहसीलदार सीकर के कर्मचारियों द्वारा बेदखल करने की धमकीयो देने पर वादीगण द्वारा दिनांक 21.09.2000 को माननीय न्यायालय में नानूराम बनाम राजस्थान राज्य मुकदमा नम्बर 98/2000 दावा स्थिति किया जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशानुसार तहसील सीकर द्वारा पटवारी हल्का द्वारा जांच कर विवरण माननीय न्यायालय में पेश किये जाने पर रेल्वे विभाग की खातेदारी में पुराने खसरा नम्बर 240 रकबा 6 बीघा के नये खसरा नम्बर 406 रकबा 6.55 हैक्टेयर गलत रूप से अंकित कर दिये गये यद्यपि रेल्वे विभाग व वादीगण अपने पुराने खसरा नम्बर व पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर कायम है, वादीगण की खातेदारी को गलत ढंग से कम कर राजस्व ग्राम के रकबे का मिलान करते समय रकबा मिलान हेतु वादीगण के रकबे को रेल्वे विभाग की खातेदारी, में दर्ज कर दिया तत हेतू एस.डी.ओ. सीकर में विचाराधीन वाद पोरमल डिपेकेट के कारण नानुराम बनाम राजस्थान राज्य मुकदमा नम्बर 98/2000 माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सर्शत विड्रा कर लिया गया और नवीन वाद नियोजित किया गया इस वाद पत्र के द्वारा वादीगण ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर से मुख्य अनुतोष इस प्रकार चाहा गया कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण के खाते, कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर पुराने 2 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 19 व 21 का रकबा 4.81 हैक्टेयर, कायम किया जाकर नक्शा सर्वेशीट में से हज्फ किया जावे तदनुरूप राजस्व रिकार्ड में संशोधन एवं अमल दरामद किया जावे तथा खातेदार, काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 की ओर जवाबदावा प्रस्तुत किया तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम किये गये। योग्य अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण ने मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 3 गवाह एवं दस्तावेजी साक्ष्य में 8 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये इसके विपरित प्रतिवादीगण की और से डी. डब्ल्यू–1 नरेन्द्रचन्द के बयान करवाये गये। तत्पश्चात योग्य अधिनस्थ

उपखण्ड अधिकारी सीकर ने लिखित बहस प्राप्त कर चुनौतिग्रस्त निर्णय व डिक्री दिनांक 05.04.2007 पारित किया जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस से पूर्व अपीलांट के आवेदन पर तहसीलदार सीकर एवं सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर से विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि गत खसरा नम्बर 2 का रकबा 19 बीघा 5 बस्वा जिसका हैक्टेयर कनवर्ट 4.86 होता है। उक्त खसरा नम्बरों का नक्शे में कंघी परकार से रकबा बरारी करने पर रकबा 4.45 हैक्टेयर आता है। जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खसरा नम्बर 19 रकबा 3.17 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 21 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.37 ही दर्ज है। जबकि गत खसरा नम्बर 2 के गत रिकार्ड के अनुसार 19 बीघा 5 बिस्वा का कनवर्ट 4.86 हैक्टेयर होता है एवं गत नक्शे का रकबा भी 4.76 हैक्टेयर होता है। इस प्रकार खसरा नम्बर 2 से बने नवीन खसरा नम्बर 19 का रकबा 3.17 के बजाय 4.56 व खसरा नम्बर 21 का रकबा यथावत 0.20 हैक्टेयर रखा जाना उचित है। वादीगण के पैतृक खाते कब्जे, काश्तकारी कृषि आराजियात ग्राम राधाकिशनपुरा के पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल वाके ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित रही है, अभिनव भू–प्रबन्ध के दौरान वादग्रस्त भूमि के नये खसरा नम्बर 19 रकबा 3.17 हैक्टेयर खसरा नम्बर 21 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.37 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जबकि उन्हे 4.81 रकबा दर्ज करना चाहिए था। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी संख्या 1 का 3/4 एवं वादी संख्या 2 का 1/4 हक हिस्सा रहा है, और उपरोक्त वर्णित हक हिस्से के अनुसार ही पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा पर वादीगण काबिज चले रहे है, अभिनव भू–प्रबन्ध द्वारा वादीगण के खाते कब्जे की भूमि गलत रूप रकबा कम कर वादी कि खातेदारी की भूमि का नया रकबा 3.37 हैक्टेयर कायम कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिया जबकि वास्तव में 19 बीघा 5 बिस्वा का रकबा 4.81 कायम किया जाना चाहिए था भू-प्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वादीगण की खातेदारी की भूमियों का 1.49 हैक्टेयर रकबा कम कर दिया गया। बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के भू-प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों को राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने का कोई हक अधिकार नही है। वादीगण वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा के अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है, तथा वादग्रस्त भूमि के चारो और 5 फिट ऊची मिटटी की हॉल लगाकर कदीम से काश्त करते रहे है। वादीगण पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा के अनुसार 4.81 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के हकदार है तथा उक्त अनुसार ही वादीगण 4.81 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार उद्घोषणा करवाने और तदनुसार रेवेन्यू रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है तथा खसरा नम्बर 19 के दक्षिण में अंकित खसरा नम्बर 19 तथा खसरा नम्बर 19/1074 के मध्य अंकित सीमा को हजफ करवाने का अधिकारी है। विचारण न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेल्वे की सीमाऐं एवं रकबा विधि सम्मत है। विवादित भूमि रेल्वे की सीमाओं से काफी दूरी पर स्थित है वादी का रकबा दुरूस्त करने में रेल्वे को कोई ऐतराज नही है किन्तु रेल्वे का रकबा कम नही किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 21.01.2020, मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 16.12.2019, फर्द रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 2 का रकबा 19 बीघा 5 बस्वा जिसका हैक्टेयर कनवर्ट 4.86 होता है। उक्त खसरा नम्बरों का नक्शे में कंघी परकार से रकबा बरारी करने पर रकबा 4.45 हैक्टेयर आता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खसरा नम्बर 19 रकबा 3.17 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 21 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.37 ही दर्ज है। जबकि गत खसरा नम्बर 2 के गत रिकार्ड के अनुसार 19 बीघा 5 बिस्वा का कनवर्ट 4.86 हैक्टेयर होता है एवं गत नक्शे का रकबा भी 4.76 हैक्टेयर होता है। इस प्रकार खसरा नम्बर 2 से बने नवीन खसरा नम्बर 19 का रकबा 3.17 के बजाय 4.56 व खसरा नम्बर 21 का रकबा यथावत 0.20 हैक्टेयर रखा जाना उचित है। वादीगण के पैतृक खाते कब्जे, काश्तकारी कृषि आराजियात ग्राम राधाकिशनपुरा के पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल वाके ग्राम राधाकिशनपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित रही है, अभिनव भू–प्रबन्ध के दौरान वादग्रस्त भूमि के नये खसरा नम्बर 19 रकबा 3.17 हैक्टेयर खसरा नम्बर 21 रकबा 0.20 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.37 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जबकि उन्हे 4.81 रकबा दर्ज करना चाहिए था। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी संख्या 1 का 3/4 एवं वादी संख्या 2 का 1/4 हक हिस्सा रहा है, और उपरोक्त वर्णित हक हिस्से के अनुसार ही पुराने खसरा नम्बर 2 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा पर वादीगण काबिज चले रहे है, अभिनव भू–प्रबन्ध द्वारा वादीगण के खाते कब्जे की भूमि गलत रूप रकबा कम कर वादी कि खातेदारी की भूमि का नया रकबा 3.37 हैक्टेयर कायम कर दिया जबकि वास्तव में 19 बीघा 5 बिस्वा का रकबा 4.81 कायम किया जाना चाहिए था भू–प्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वादीगण की खातेदारी की भूमियों का 1.49 हैक्टेयर रकबा कम कर दिया गया। बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के भू–प्रबन्ध अधिकारियों व कर्मचारियों को राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने का कोई हक अधिकार नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी की मौका

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रिपोर्ट दिनांक 21.01.2020, मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 16.12.2019, फर्द रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस के आधार पर ग्राम राधाकिशनपुरा के नवीन खसरा नम्बर 19 का रकबा 3.17 के स्थान पर 4.56 किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
पदेन प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर